संख्या-1/2023/1891/001-2285333/ 12-2/3/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2023

विषय:-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुपूरक अनुदान की धनराशि रूपये 19027.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-3033/फ.ऋ.मो./अनु0मॉग वित्तीय स्वीकृति/ 2022-23, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2022-23 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना, 03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में अनुपूरक अनुदानों में प्राविधानित धनराशि रूपये 19027.00 लाख लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये 19027.00 लाख (रूपया एक अरब नब्बे करोड़ सत्ताइस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
2. स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका रहेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन एवं योजना विषयक निर्गत दिशा-निर्देशों का का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा समस्त लम्बित दायित्वों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध उपलब्ध कराया जाएगा।
5. आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऋण मोचन योजनान्तर्गत अब कोई भी देयता शेष नही बचेगी तथा मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जाय।

8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

11. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी0-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022, एवं तत्क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 नवम्बर, 2022 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 नवम्बर, 2022 में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,90,27,00,000 (रुपये एक अरब नव्वे करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001150300 लघु तथा सीमांत कृषको के फसली ऋण का भुगतान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-359-X-2022-23, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 मे प्राप्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-1/2023/1891(1)/001-2134223(1)/12-2/3/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/2/कृषि अनुभाग-3/5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।